अनुसूची-17

प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो, वित्तीय विवरण लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के सिद्धान्तों पर परंपरागत मूल लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं , जो भारत में प्रचलित कानूनी प्रावधानों तथा परंपराओं पर आधारित हैं ।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रूपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है,जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैड़ाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ –हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है । ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस.11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व, विदेशी मुद्रा गारंटी का मूल्यांकन फैड़ाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को ज़ारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय आनुमानिक दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों / दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे " परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध तथा " व्यापार हेतु रखना " जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया हैः

1. सरकारी प्रतिभूतियां
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
3. शेयर्स(अंश)
4. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बाण्ड
5. सहायक ईकाइयां / संयुक्त उपक्रम तथा
6. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को "परिपक्वता तक रखना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुन: विक्रय के लिए रखा हो , को "व्यापार के लिए रखने" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते , को "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. खरीदते समय निवेशों को उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यत:बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णयता किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

3.4 प्रतिभूतियां जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वत: परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची -13 मद II में " निवेशों पर आय " शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है ,वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।

3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा ह्रास /वृद्धि को श्रेणी-वार पृथक किया गया है । शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।

3.6 "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों" का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 "बिक्री हेतु उपलब्ध " एवं " व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियां " श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य को " बाजार दर " पर निर्धारण हेतु स्टाक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव / दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची ,प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है :

क. भारत सरकार की प्रतिभूतियां : फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।

ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों , ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्डस : फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई / फिम्डा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

ग. इक्विटी शेयर्स : नवीनतम तुलन –पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर ,जोकि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है । ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है , शेयरों का मूल्य 1/- रूपये प्रति कम्पनी माना गया है।

घ.म्युचुअल फंड यूनिट्सः पुनःक्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।

ङ. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनः पूंजीगत बांड्स , सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान – शुद्ध लागत पर।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण :

क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।

ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली / कमीशन / स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।

ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को ,यदि कोई हो , लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है । फिर भी , "परिपक्वता तक रखना "श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में , आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। फिर भी,बैंक ने निम्नानुसार अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों के लिए उच्चतर प्रावधान किए हैं।

आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित	बैंक द्वारा अनुवर्तित
अवमानक	10%	35%
संदिग्ध-I	20%	65%
संदिग्ध-II	30%	100%

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार पुनः बनाए गए/पुनः व्यवस्थित किए गए अग्रिमों, प्रावधानों का अनुरक्षण किया गया हैं।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान / तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी / ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्वों तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

5. अचल आस्तियां

5.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
5.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

6.अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

6.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है :
6.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत; परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
6.1.2 आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है।
6.1.3 जहां कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहां परिसरों का मूल्य समिश्र मूल्य पर लिया गया है।
6.2.वर्ष के दौरान बेची गई / निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
6.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

7 . राजस्व मान्यता :

7 . 1 जहां अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चो को उपचय आधार पर लिया गया है ।
7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

7.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

7.4 गारंटियों तथा ज़ारी साख-पत्रों से आय, लाकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा , अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रौसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पैंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

7.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

7.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

7.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

7.8 टीयर–II पूंजी में उन्नयन के कारण बाँड ज़ारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पांच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ :

ग्रेच्युटी फंड, पैंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकिक पद्धतियों के आधार पर पैंशन फंड तथा बीमारी की छुट्टी से संबंधित संक्रमणकालीन दायित्व को पुनरीक्षित लेखा-मानक -15 (ए.एस-15) के अनुसार वर्ष 2007-08 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना है जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डी.बी.ओ.डी.बी.पी.संख्या 271/21.01.002/2005-06 दिनांक 23.08.05 द्वारा इसे 10 वर्षों से शेष 7 वर्षों में समाप्त किया जाना अनुमोदित है।

9.आय पर कर

9.1 चालू आय कर को लागू कर-दरों तथा विधिक निर्णयों /परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

9.2 एएस-22आस्थगित- कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।